भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं. †*113

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु में समुदाय-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना

†*113. श्री जी. सेल्वम:

डॉ. रानी श्रीकुमार:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्थानीय समुदायों, कारीगरों, महिला स्व-सहायता समूहों, जनजातीय समूहों और पारंपरिक सांस्कृतिक कलाकारों की सक्रिय भागीदारी से तमिलनाडु में समुदाय-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित योजनाओं, परियोजनाओं और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी पहल के अंतर्गत तमिलनाडु में विरासत शहरों, मंदिरों, हस्तशिल्प, तटीय गांवों, पारि-पर्यटन स्थलों और ग्रामीण पर्यटन संकुलों से जुड़े पर्यटन परिपथों का विकास किया गया है;

(घ) इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए स्थानीय कारीगरों, स्व-सहायता समूहों और सामुदायिक संगठनों की संख्या और सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में समुदाय-आधारित पर्यटन को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण और पारंपरिक समुदायों के लिए आय के अवसर बढ़ाने के लिए प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री जी. सेल्वम और डॉ. रानी श्रीकुमार द्वारा तमिलनाडु में समुदाय-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या †*113 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (ङ): पर्यटक स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं जैसे 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' के माध्यम से देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विरासत परिपथ, तटीय परिपथ, इको परिपथ, ग्रामीण परिपथ और जनजातीय परिपथ को विषयगत परिपथों में से एक के रूप में चिह्नित किया है। केंद्रीय वित्तीय सहायता संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर प्रदान की जा रही है।

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के नाम से नया रूप दिया है, जिसका उद्देश्य गंतव्य एवं पर्यटन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों का विकास करना है। यह योजना पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता और रोजगार सृजन सहित आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने वाले स्थायी पर्यटन के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

उपरोक्त योजना की सेक्शन 2.3 के अनुसार, इसके निम्नलिखित रणनीतिक उद्देश्य हैं:

(i) स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना
(ii) स्थानीय समुदायों के लिए स्वरोजगार सहित रोजगार के अवसर सृजित करना
(iii) स्थानीय युवाओं के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र से संबंधित कौशल को बढ़ाना
(iv) पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना
(v) स्थानीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करना

योजना में यह प्रावधान है कि गंतव्यों के विकास के लिए परियोजनाएँ तैयार करते समय राज्य स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ उचित परामर्श सुनिश्चित करेंगे, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं सहित स्थानीय समुदायों के बीच क्षमता निर्माण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा ताकि वे पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और अवसरों को अपनाने में सक्षम हो सकें और राज्य पर्यटन मूल्य श्रृंखला में स्थानीय उद्यमिता तथा स्वरोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करेंगे।

देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना में स्थायी पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने और रोजगार के अवसरों का सृजन करने की परिकल्पना की गई है।

स्वदेश दर्शन योजना की उप-योजना - चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना में यह अपेक्षा की जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में प्रमुख पर्यटन प्राथमिकताओं, अर्थात हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल, पर्यटन संबंधी एमएसएमई और गंतव्य प्रबंधन तथा जन भागीदारी, स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी और सहभागिता के बीच भी आपस में जुड़ाव होना चाहिए।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत, मंत्रालय परियोजना की आवश्यकता के अनुसार गंतव्यों पर पर्यटन सुविधा को बढ़ाने वाले विभिन्न घटकों को स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करता है, जिनमें पर्यटन के मुख्य उत्पादों, पर्यटन संबंधी गतिविधियों, सुरक्षा, स्वच्छता, अंतिम छोर तक संपर्कता, पार्किंग, सामान्य स्थल विकास, आवश्यक सुविधाएं आदि से संबंधित घटक शामिल हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य में 390.74 करोड़ रुपये की राशि की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय देश में मेलों और महोत्सवों तथा पर्यटन से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर "आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच)'' की योजना के अंतर्गत भी धनराशि प्रदान करता है। इसके लिए तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत धनराशि का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

सरकार ने 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' के एक हिस्से के रूप में स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय होम-स्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दे दी है। उक्त सुविधा के अंतर्गत 1000 होम-स्टे का विकास शामिल है, जिसमें नए निर्माण के लिए प्रति इकाई अधिकतम 5 लाख रुपये, नवीनीकरण के लिए 3 लाख रुपये और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है।

'पर्यटन मित्र' और 'पर्यटन दीदी' नामक एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पर्यटन पहल 2024 में शुरू की गई थी और तब से लगभग 4300 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसका लक्ष्य स्थानीय सेवा प्रदाताओं को शामिल करना है, जिनमें महिलाएं और हाशिए पर रहने वाले समुदाय शामिल हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने तमिलनाडु सहित देश में 21 केंद्रीय आईएचएम, 35 राज्य संबंधी आईएचएम और 13 फूड क्राफ्ट संस्थानों (एफसीआई) की स्थापना में सहायता दी है।

पर्यटन मंत्रालय "सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)" नामक अपनी योजना के अंतर्गत देश भर में प्रशिक्षुओं के कौशल विकास, कौशल उन्नयन और पुनः कौशल विकास के लिए आतिथ्य एवं पर्यटन से संबंधित अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करता है। ये

पाठ्यक्रम सूचीबद्ध निजी संस्थानों और सरकारी संस्थानों, जिनमें भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान, भारतीय पाक कला संस्थान आदि शामिल हैं, के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक लगभग 4,57,544 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित को प्रशिक्षण दिया गया है और तमिलनाडु राज्य में इस योजना के तहत 29,490 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे के विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियाँ तैयार की हैं, जिन्हें आवश्यक/उचित कार्रवाई के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया गया था।

मंत्रालय ने पर्यावरण के लिए जीवनशैली मिशन (एलआईएफई) के अंतर्गत एक क्षेत्रीय कार्यक्रम 'ट्रैवल फॉर लाइफ' भी शुरू किया। ट्रैवल फॉर लाइफ का उद्देश्य मुख्यधारा में पर्यटन क्षेत्र में संसाधनों के समुचित उपयोग को बढ़ावा देना, जागरूकता पैदा करना तथा पर्यटकों और पर्यटन संबंधी व्यवसायों को प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए चिरस्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

अनुबंध-I

श्री जी. सेल्वम और डॉ. रानी श्रीकुमार द्वारा तमिलनाडु में समुदाय-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या †*113 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में **विवरण**

तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं की सूची:

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)**
क	**स्वदेश दर्शन 1.0**	
i.	चेन्नई - मामल्लापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - कन्याकुमारी का विकास (दिसंबर, 2015)	73.13
	कुल स्वीकृत राशि	**73.13**
ख	**स्वदेश दर्शन 2.0**	
i.	शोर मंदिर में गहन अनुभव (मार्च, 2024 - संशोधित मई, 2025)	30.02
	कुल स्वीकृत राशि	**30.02**
ग	**चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)**	
i.	आध्यात्मिक के तहत रामेश्वरम का विशिष्ट कायाकल्प (मार्च, 2025)	20.01
	कुल स्वीकृत राशि	**20.01**
घ	**तीर्थस्थल कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)**	
i.	कांचीपुरम का विकास (अगस्त, 2020)	13.99
ii.	वेलंकन्नी का विकास (मई, 2020)	4.86
iii.	8 नवगृह मंदिर का विकास (मार्च, 2025)	40.94
	कुल स्वीकृत राशि	**59.79**
ङ	**पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)**	
i.	नंदवनम विरासत पार्क (नवम्बर, 2024)	99.67
ii.	ऊटी में रेस कोर्स में इको पार्क (नवम्बर, 2024 संशोधित स्वीकृति दिसम्बर, 2025)	70.23
	कुल स्वीकृत राशि	**169.9**
च	**केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीए)**	
i.	चेन्नई पोर्ट में मौजूदा यात्री टर्मिनल में क्रूज यात्री सुविधा केंद्र (सितम्बर, 2012)	17.24
ii.	गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, जिला - अरियालुर में प्रकाश व्यवस्था और संबंद्ध कार्य (मार्च, 2025)	11.47
iii.	रामेश्वरम रेलवे स्टेशन (मार्च, 2018)	4.70
iv.	मदुरै रेलवे स्टेशन (जून, 2018)	4.48
	कुल स्वीकृत राशि	**37.89**
	कुल केंद्रीय सहायता	**390.74**

अनुबंध-II

श्री जी. सेल्वम और डॉ. रानी श्रीकुमार द्वारा तमिलनाडु में समुदाय-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 27.07.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के मौखिक प्रश्न संख्या †*113 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में **विवरण**

तमिलनाडु राज्य में मेलों और महोत्सवों के लिए स्वीकृत निधियों की सूची:

राज्य	वर्ष	मेलों/महोत्सवों का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
तमिलनाडु	2015-16	मामल्लापुरम, तमिलनाडु में भारतीय नृत्य महोत्सव	8.00
	2016-17	मामल्लापुरम में भारतीय नृत्य महोत्सव	25.00
	2017-18	मामल्लापुरम में भारतीय नृत्य महोत्सव	25.00
	2018-19	मामल्लापुरम में भारतीय नृत्य महोत्सव	25.00
	2019-20	भारतीय नृत्य महोत्सव	25.00
		कुमारी महोत्सव	10.00
		पर्यटन सांस्कृतिक महोत्सव	15.00
	2021-22	मामल्लापुरम में भारतीय नृत्य महोत्सव	25.00
	2022-23	मामल्लापुरम में भारतीय नृत्य महोत्सव	25.00
	2023-24	मामल्लापुरम में भारतीय नृत्य महोत्सव	25.00
	2024-25	भारतीय नृत्य महोत्सव-मामल्लापुरम	50.00
		मार्गज़ी संगीत महोत्सव	10.00
		पोंगल महोत्सव	20.00
	2025-26	भारतीय नृत्य महोत्सव-मामल्लापुरम	25.00
